सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

अपील संख्याः—07/2025 दर्ज तिथिः—18.07.2025

1. पनी देवी पत्नी ताजाराम
   जाति जाट निवासी मूढसर, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर

.................अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत धोरीमना जरिये सरपंच
2. भीखों देवी पत्नी काछबाराम
   जाति जाट, निवासी ताजाणियों की ढाणी, लोहारवा, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

..................असल प्रत्यर्थी

3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना जिला बाड़मेर

............तकमीली प्रत्यर्थी

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलार्थीः—श्री देवाराम चौधरी
प्रत्यर्थीः—एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—75
राज.भू—राजस्वअधिनियम—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—12.09.2025

1. आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अपील में सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में निहित विवाद की मुख्य विषयवस्तु का सूक्ष्मतः व सारतःविवरणइस प्रकार से हैः—
   - कि अपीलान्ट के नाम से तहसील धोरीमना के पटवार मण्डल धोरीमना के राजस्व ग्राम धोरीमना के खेत खाता संख्या 37 खसरा संख्या 614/10 क्षेत्रफल 0.2428 है0 किस्म गै.मु.आवासीय की भूमि आई हुई है।
   - कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत धोरीमना के खसरा संख्या 614/1 वर्तमान खसरा संख्या 614/4 में से अपनी जमीन उतरदाता संख्या 2 भीखों देवी को दिनांक 01.06.2020 को पंजियन क्रमांक 202003110100448 की भूमि का बेचान किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:19:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

- कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 614/1 वर्तमान 614/4 में से अपनी जमीन उतरदाता संख्या 2 भीखों देवी को दिनांक 01.06.2020 को बेचान के बावजूद आलौच्य नामान्तरकरण ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 614/10 में नामान्तकरण संख्या 2700 दर्ज कर दिनांक 20.01.2024 को स्वीकृत कर दिया जो गलत व विधि विरूद्व है।
- कि बेचान दस्तावेज दिनांक 01.06.2020 को पंजीयन क्रमांक 202003110100448 ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 614/1 वर्तमान खसरा संख्या 614/4 होने के बावजूद नामान्तकरण संख्या 2700 जो खसरा संख्या 614/10 में दायर कर स्वीकृत करना गैर कानूनी व स्वीकृत करने में भारी कानूनी भूल की है जो निरस्त योग्य है। तथा अपीलाधीन आराजी आवकी अपीलान्ट के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाना उचित एवं विधि संगत है।
- कि अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण का वास्तविक ज्ञान दिनांक 15.07.2025 को हुआ तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद है। साथ ही एहतियान के तौर पर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम मय शपथ पत्र संलग्न प्रस्तुत किया है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 मय वकुलाय न्यायालय हाजा उपस्थित हुए।

3. सर्वप्रथम अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम को सुना जाना आवश्यक है। उक्त खसरान का नामान्तरकरण संख्या 2700 जो दिनांक 20.01.2024 को स्वीकृत हुआ लेकिन अपीलान्ट को इसकी जानकारी उक्त खसरान की जमाबंदी दिनांक 16.07.2025 को लिये जाने पर हुई तथा उक्त गलत नामान्तरकरण स्वीकृत होने की जानकारी पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 18.07.2025 को न्यायालय हाजा में अपील दायर कर दी है जो अन्दर म्याद है। अतः अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील को सुना जाना उचित है।

4. उतरदाता संख्या 2 भीखों देवी ने उक्त अपील के संबंध में जवाब पेश किया गया जो शामिल मिशल किया गया। जवाब में अपीलान्ट के अपील के सभी बिन्दुओं को स्वीकार किया गया तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने पर उन्हें किसी प्रकार की कोई आपति नहीं होने का लिखित कथन किया।

5. उक्त अपील के संबंध में तहसीलदार धोरीमना से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धोरीमना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ/2025/1976 दिनांक 26.08.2025 के संलग्न तथ्यात्मक रिपोर्ट मय आवश्यक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति न्यायालय हाजा को प्रस्तुत की है जो शामिल मिशल की गई। तत्पश्चात प्रकरण में वकील अपीलार्थी एवं उतरदाता संख्या 2 की बहस सुनी गई। मैनें अपीलार्थी व उतरदाता संख्या 2 के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में अ[illegible] द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:19:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

प्रतीत होता है कि अपीलान्ट ने बेचान दस्तावेज दिनांक 01.06.2020 क्रमांक 202003110100448 पर पंजियन दस्तावेज में दर्ज खसरा संख्या 614/1 रकबा 1–13 बीघा जिससे से 2250 वर्गमीटर का बेचान उतरदाता संख्या 2 भीखों देवी पत्नी काछबाराम को किया गया जिसका पटवारी हल्का धोरीमना द्वारा उक्त दस्तावेज का नामान्तरकरण संख्या 2700 खोला गया जो तात्कालीन खसरा संख्या 614/1 में खोला जाना था लेकिन सहवन से खसरा संख्या 614/10 में खोल दिया गया जिससे खसरा संख्या 614/10 के खातेदारों का हित प्रभावित हुआ। अतः ग्राम पंचायत धोरीमना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2700 दिनांक 20.01.2024 को खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभीमत है कि अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर मौजा धोरीमना पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना में अवस्थित ग्राम पंचायत धोरीमना के खेत खसरा संख्या 614/10 रकबा 0.2428 है0 में उतरदाता संख्या 1 द्वारा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 2700 दिनांक 20.01.2024 को अपास्त कर तहसीलदार धोरीमना को पुनः जांच कर पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित व विधि संगत होगा। इस प्रकार उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तकरण संख्या 2700 दिनांक 20.01.2024 जो ग्राम पंचायत धोरीमना द्वारा पारित किये जाने के विरूद्व अपील भलीभांती साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत धोरीमना के खेत खसरा संख्या 614/10 रकबा 0.2428 है0 किस्म *में ग्राम पंचायत धोरीमना द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2700 दिनांक 20.01.2024 को की गई कार्यवाही अपास्त की जाती है। तहसीलदार धोरीमना को प्रकरण पुनः प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उक्त नामान्तकरण अपास्त करने के बाद अपीलान्ट व उतरदातागण के नामान्तरकरण की जांच कर नियमानुसार विधिसमत अग्रिम कार्यवाही करावें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।*

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 12.09.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

12/9/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी धोरीमना (बाड़मेर) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:19:45 IST
Reason: SelfAttested